...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...र्थना–पत्र संख्या :–174 / 2021 दायर दिनांक:29.10.2021

GCMS NO:- 2021/315

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. अर्जुन आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. प्रहलाद आ0 माधो जाति मीणा निवासी सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री शम्भुलाल नागर।

निर्णय दिनांक 31.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी खसरा संख्या 747 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि खसरा संख्या 747 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से करीब 5 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पीडियो से चला आ रहा है। यह कि भूमि खसरा संख्या 747 तथा खसरा संख्या 877/747 में से करीब 5 बीघा जमीन की तीन दिशाओं मे प्रार्थी की खाते की भूमि उत्तर दिशा मे से खसरा संख्या 513 तथा खसरा संख्या 851/573 है। दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 747 तथा 878/749 स्थित है तथा पूर्व दिशा में खसरा संख्या 547 पाण्डूला हल्का धानुगांव में प्रार्थी के पिता मोरपाल आ0 भूरा की भूमि है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद के नाम 1 बीघा भूमि खसरा संख्या 747 में आवंटित हुई थी जिसका खसरा संख्या 892/747 है जो अप्रार्थी संख्या 1 के खाते की भूमि खसरा संख्या 531, 530 के समानान्तर समीप आवंटित हुई थी और उसी पर कब्जा दिया गया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने तार बाडा कर रखा है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 531 के समीप व समानान्तर है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध व अनाधिकृत रूप से आवंटित शुदा भूमि के बजाय 851/513 एवं खसरा संख्या 749 के मध्य गलत तरमीम करवा ली जबकि तरमीम शुदा जमीन पर आज दिन तक भी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नही रहा है तरमीम शुदा भूमि प्रार्थी ने कब्जे की है इस संबंध में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार साहब को आवेदन किया था जिसमें पटवारी रिपोर्ट में भी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नही होना पाया गया परन्तु मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तरमीम करवा ली है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट ''अ'' भी पेश कर रखा है। जिसमें नीली स्याही से अप्रार्थी के आवंटन शुदा भूमि दर्शा रखी है तथा लाल स्याही से वर्तमान गलत तरमीम दर्शा रखी है परिशिष्ट ''अ'' को प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। यह कि प्रार्थी को कुछ सप्ताह पूर्व ही मालूम हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध रूप से गलत तरमीम करवा ली है इस पर प्रार्थी ने मालूम किया तो मूल कपडे नक्शे मे कोई तरमीम नही होना पाया गया परन्तु ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम कर दी। यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन में) की गई गलत तरमीम को जिसे परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शा रखी है निरस्त कर पुनः नई तरमीम परिशिष्ट ''अ'' में नीली स्याही से बताये गये स्थान पर करवाये। तरमीम मय रकबे सहित सही दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट की रिपोर्ट दिनांक 11.05.2023 के अनुसार पटवारी हल्का सुवानिया की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा प्रकरण में खसरा संख्या 892/747 रकबा 1.00 बीघा की तरमीम जहां हुई है, वहां अलोटी का कब्जा नही है। इस स्थान पर प्रार्थी अर्जन का कब्जा काश्त है। अलोटी प्रहलाद आ0 माधो का कब्ज काश्त खसरा संख्या 531 के समानान्तर है। पटवारी द्वारा ख़सरा संख्या 747, 892/747 व 877/747 की वर्तमान स्थिति व दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्थली तहसील नैनवां जिला बून्दी की खसरा संख्या 747, 892/747 व 877/747 की वर्तमान स्थिति व दुरूस्ती हेतु मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम सुन्थली दिनांक 08.5.2023 के अनुसार प्रस्तावित A से B पर दर्शाये गए नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)